न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 196/2013/223 आर टी ए

विरेन्द्रसिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। ––अपीलांट

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश कौर पत्नि स्व. हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुरेन्द्र पुत्र स्व. हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. गुरमीत सिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. हरमीत सिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. साहबराम पुत्र चन्दोदेवी पत्नि रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी चक 6 केएसडी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. विष्णु पुत्र चन्दोदेवी पत्नि रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी चक 6 केएसडी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्र0सं. 201/2012 अनवानी राजेन्द्रसिंह बनाम हरदयालसिंह

उपस्थित :–

श्री प्रद्युमन सिंह परमार अधिवक्ता अपीलांट

श्री महेन्द्रसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 3 ता 5

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8

निर्णय दिनांकः–09.11.2017

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी ने अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व

53 आरटीए पेश किया जिसमे अपीलांट का पक्षकार नही बनाया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया था लेकिन अपीलांट व अन्य काश्तकारान को पक्षकार संयोजित नही किया गया जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (5) के अन्तर्गत विभाजन के वाद मे प्रत्येक खातेदार आवश्यक पक्षकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को बिना पक्षकार संयोजित किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई गई है। जबकि अपीलांट उक्त प्रकरण मे अहम व आवश्यक पक्षकार था और उक्त प्रकरण मे अपीलांट की अहम जवाबदेही व हक हिस्सा बनता था। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद विभाजन व घोषणा हेत प्रस्तुत किया हुआ है इसके बावजूद रेस्पो0 द्वारा तथ्यों को छुपाकर अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति मे अथवा उसे बिना पक्षकार बनाये पारित करवाया है। अपीलाधीन आदेश पारित होने के पश्चात अपीलांट व उसके भाई के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सा कम हो रहा है। अतः अपील अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 3, 4, 5 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा घोषणा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था तथा रेस्पो0सं. 1/वादी द्वारा अपने पिता हरदयालसिंह के नाम दर्ज भूमि के संबंध मे अनुतोष चाहा गया था जिसमे अपीलांट सहखातेदार नही था बल्कि अन्य रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कांउटर क्लेम मे वर्णित कुछ आराजी भूमि मे अपीलांट सहखातेदार था। इसलिए रेस्पो0 सं. 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे आवश्यक पक्षकार नही होने के कारण अपीलांट का बतौर पक्षकार संयोजित

नही किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1/वादी द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज कुछ भूमि के संबंध मे अनुतोष चाहा गया था और जिस आराजी भूमि के संबंध मे रेस्पो0/वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया उस आराजी भूमि मे अपीलांट सहखातेदार नही था अपितु अन्य रेस्पो/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम मे वर्णित भूमि मे अपीलांट बतौर सहखातेदार था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 पिता हरदयाल सिंह के नाम दर्ज भूमि मे हरदयालसिंह के पुत्रों के नाम घोषणा करते हुए विभाजन की डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति मे जहां तक हरदयालसिंह के नाम दर्ज भूमि मे उसके पुत्रो के पक्ष मे की गई घोषणा की डिक्री की हद तक तथा अकेले हरदयाल सिंह के नाम दर्ज भूमि के संबंध मे विभाजन की डिक्री हद तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाकर शेष निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर विभाजन के संबंध मे अपीलांट को पक्षकार बनाये हुए विभाजन के संबंध मे पुनः नये से उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन हेतु निर्णय प्रसारित किया जाना आपेक्षित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2013 को पारित रेस्पो0 सं. 1/वादी के पिता हरदयाल सिंह के नाम दर्ज भूमि मे हरदयाल सिंह के पुत्रो के पक्ष मे पारित घोषणा एवं चक 10 केएसडी के खाता सं. 70/63 खाता हरदयाल सिंह जमाबंदी सम्वत 2062–65 के प.न. 132/113 मु.न. 47 कि.न. 22 ता 24, प.न. 132/114 मु. न. 54 कि.न. 2 ता 4, 8 ता 10, 12, 13, 19 कुल 3.036 है0 भूमि के विभाजन की हद तक यथावत रखा जाकर शेष निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारान को वाद मे बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 30.11.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ